प्रेस विज्ञप्ति
23.6.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 19.06.2025 को कर्नाटक के उडुपी और शिमोगा जिलों में तीन परिसरों को कवर करते हुए मोहम्मद इकबाल और अन्य के मामले में फेमा, 1999 के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, दस्तावेजों और अन्य डिजिटल उपकरणों के रूप में फेमा उल्लंघन से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

जांच के दौरान पाया गया कि मोहम्मद इकबाल, एक एनआरआई और दोहा स्थित व्यवसायी, जो मैनपावर सेवा व्यवसाय करता है, ने पिछले कुछ वर्षों में दोहा स्थित अपनी 5 व्यावसायिक संस्थाओं से भारत में बनाए गए अपने एनआरई/एनआरओ खातों में 70 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी थी। तलाशी के दौरान बरामद और जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों से पता चलता है कि उक्त धनराशि का उपयोग बाद में फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया, जैसे कि निवासी कंपनियों को दिए गए ऋण, निवासी स्वामित्व वाली संस्थाओं और रियल एस्टेट व्यवसाय में लिप्त फर्मों में निवेश, कृषि भूमि की खरीद और भूखंडों के विकास के लिए भूमि खरीदने हेतु विभिन्न व्यक्तियों को अग्रिम राशि आदि।

आगे की जांच जारी है।